झारखण्ड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, राँची – 834001

विज्ञापन संख्या–04 / 2026

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि –12.03.2026

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय पोलिटेक्निक/राजकीय महिला पोलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्याता के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु इच्छुक भारतीय अर्हत्ताधारियों से निम्न प्रकार विहित शर्तों एवं निर्देशों के अनुरूप आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :–

1. **पद का नाम** :–व्याख्याता, राजकीय पोलिटेक्निक/राजकीय महिला पोलिटेक्निक

2. **वेतनमान** :–Pay Scale- Entry Pay Rs. 56,100/- Level 9 'A'
Entry Pay Rs. 57,700/- Level 10

3. **परीक्ष्यमान अवधि :– 2 वर्ष**

4. **रिक्तियों का विवरण :–**

क्र0 सं0	संकाय का नाम	कुल रिक्तियाँ	Vertical Reservation						Horizontal Reservation against total vacancy				
			UNR	ST	SC	BC-I	BC-II	EWS	Women	Sports	Blind	Deaf & Dumb	Locomotive
1.	Automobile Engineering	**04**	02	01	00	01	00	00	00	00	01	00	00
2.	Chemistry	**21**	09	05	02	02	01	02	00	00	01	00	00
3.	Civil Engineering	**40**	18	10	05	02	02	03	02 (UNR-01, ST-01)	00	01	01	00
4.	Computer Science & Engineering	**66**	27	17	07	05	04	06	02 (UNR-01, ST-01)	01	01	01	01
5.	Dress Design & Garment Manufacturing	**10**	05	03	01	01	00	00	00	00	01	00	00
6.	Electrical Engineering	**45**	19	13	04	04	01	04	02 (UNR-01, ST-01)	00	01	01	00
7.	Electrical & Electronics Engineering	**19**	09	05	02	01	01	01	00	00	01	00	00
8.	Electronics & Communication Engineering	**18**	08	05	02	01	01	01	00	00	01	00	00
9.	English	**18**	08	05	02	01	01	01	00	00	01	00	00
10.	Interior Design	**04**	02	01	00	01	00	00	00	00	01	00	00
11.	Mathematics	**30**	13	08	03	02	02	02	01 (UNR-01)	00	01	01	00
12.	Mechanical Engineering	**43**	19	09	03	05	03	04	01 (UNR- 01)	00	01	01	00
13.	Mechanical Engineering Automobile	**04**	02	01	00	01	00	00	00	00	01	00	00
14.	Metallurgical Engineering	**05**	02	01	00	01	00	01	00	00	01	00	00
15.	Mining Engineering	**08**	03	02	01	00	01	01	00	00	01	00	00
16.	Physics	**14**	06	04	01	01	01	01	00	00	01	00	00
	Total	**349**	**152**	**90**	**33**	**29**	**18**	**27**	**8**	**1**	**16**	**5**	**1**

Note - माननीय उच्च न्यायालय में दायर वाद सं0–3419/2020 (आनंद कुमार दलई बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य), 525/2016 (डा0 पंकज कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य), 2185/2016 (उत्तम कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य) तथा 1922/2017 (बन्दना कुमारी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य) में पारित न्यायादेश के फलाफल से पदों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

5. **उम्र गणना की तिथि:–**

उक्त पद हेतु आवेदकों के उम्र गणना की तिथि 01.08.2025 होगी।

6. **उम्र सीमा :–**

1. राजकीय पोलिटेक्निक/राजकीय महिला पोलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्याता के पद हेतु सेवा निवृत्ति आयु 65 वर्ष है।
2. झारखण्ड तकनीकी शिक्षा सेवा नियमावली–2024 के अनुसार अभ्यर्थियों के लिए आवेदन करने की कोई न्यूनतम उम्र निर्धारित नहीं है। आवेदन करने हेतु अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष से कम होनी चाहिए।

नोटः– चयन प्रक्रिया के दौरान यदि कोई अभ्यर्थी 65 वर्ष प्राप्त कर लेते हैं तो उनकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. **अर्हत्ता:–**Required Qualification and Experience for direct appointment in Diploma Institutions

Cadre Post	**Minimum qualification**
Lecturer Entry Pay Rs. 56,100/- Level – 9 'A'	**For Engineering/Technology:** B.E/ B.Tech/B.S. in relevant discipline with First class or equivalent.
	For Science and Humanities: Master's Degree in appropriate subject with First Class or equivalent at Bachelor's or Master's level.
Lecturer Entry Pay Rs. 57,700/- Level – 10	**For Engineering/Technology:** Bachelor's and Master's Degree in relevant discipline with First class in either of the two at the time of selection.
	For Science and Humanities: A Master's Degree with First Class or equivalent in a relevant subject and, must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC or the CSIR, or a similar test accredited by the UGC, like SLET//SET.

Note :-Minimum qualification required for Dress Design & Garment Manufacturing and Interior Design will be as per qualification required for Engineering/Technology as mentioned in the table above.

8. **(क) चयन का आधार :–**राजकीय पोलिटेक्निक/राजकीय महिला पोलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्याता के पद के लिए निम्नलिखित विवरणी के आधार पर चयन किया जायेगा जिसके लिए अंकों का विभाजन निम्नवत् होगा:–

S.N.	Academic Record/Achievements	Score		
1.	Graduation	60% & Above=15	55% to less than 60%=10	45% to less than 55%=05
2.	Post-Graduation	60% & Above=20	55% (50% in case of SC/ST/OBC (Non creamy layer)/PWD) to less than 60%=15	
3.	M. Phil (For Science and Humanities)	60% & Above=07	55% to less than 60%=05	
4.	Ph.D	15		
5.	**A. For Science and Humanities**			
	NET with JRF	15		
	NET/JET (Jharkhand Eligibility Test)	10		
	B. For Engineering/Technology			
	Qualified GATE with more than 95 percentile	15		
	Qualified GATE with more than 90 and less than or equal to 95 percentile	12.5		
	Qualified GATE with more than 85 and less than or equal to 90 percentile	10		
	Qualified GATE with less than or equal to 85 percentile	7.5		
6.	Research Publications (published papers in UGC listed journals, Best paper/ poster award, Authored/ Co-authored books/ chapters in edited books	8 (As per Schedule-1 attached herewith)		
7.	Teaching/Post Doctoral Experience (02 marks for one year each)#	4		
8.	Awards (Maximum 3 marks)			
	International/National Level (Awards given by International Organizations/ Government of India / Government of India recognized National Level Bodies (01 marks per award)	03		
	State-Level (Awards given by State Government/State Govt. recognized State level bodies) (0.5 mark for each award)	02		
9.	Interview	20		

\# (a) However, if the period of continuous teaching/Post-doctoral experience is less than one year but more than six months then 01 mark shall be provided. No fractional marks to be given.

(b) Need Based Teachers/Contractual Teachers recruited under the Higher and Technical Education Department, Government of Jharkhand will get 01 additional mark per year of continuous teaching, upto a maximum of additional 5 marks. However, the total marks awarded to such Need Based Teachers/Contractual Teachers out of 80 for Academic record/achievements shall be capped at 80 marks.

(c) The period of time taken by candidates to acquire M.Phil and/or Ph.D. Degree shall not be considered as teaching/research experience.

(d) Candidates completing Ph.D. directly after B.E./B.Tech shall be awarded full marks for Post Graduation.

(e) Candidates completing 5 year integrated M.E./M.Tech course where marks for B.E./B.Tech is not given separately, their marking for graduation shall be done on the basis of marks awarded for M.E./M.Tech.

Note:-

(A) (i) M.Phil + Ph.D - Maximum 15 Marks
(ii) JRF/NET/JET - Maximum 15 Marks
(iii) GATE - Maximum 15 Marks
(iv) In awards category - Maximum 03 Marks

(B) As per sl. No. 1 to 8 of above Table, merit list will be made and 05 times candidates against each post will be called for document verification. After document verification, amongst the candidates present in document verification, 03 times candidates against each post will be called for interview.

(C) Selection of candidates will be done as per the Merit list prepared as per Marks obtained for Academic Record/Achievements and Interview as per the Table above.

(D)Formula of GATE Percentile:

$$P=\left(\frac{N-R}{N}\right) \times 100$$

Where

P = Percentile

N = Number of candidates appeared in the paper

R = All India Rank in the paper.

Schedule-1 **Publication: Maximum 8 Marks**
(i) Published papers in Peer-reviewed or UGC listed journals: max. 01 mark per paper#. (ii) Best Paper/ Poster award at a National/International Symposium/ Conference: 1 mark/paper or poster. (iii) Books with ISBN nos: (a) Authored Book: max 03 marks/book.# (b) Chapter in Edited book: max 0.75 mark/chapter.# #: Marks for joint publication will be calculated in the following manner: **a) Joint publication having two authors,** Of the total score the first/principal author will get 60% of the maximum marks allotted and the second author will get rest of the 40% of the maximum marks allotted. **b) Joint publication having more than two authors:** Of the total score the first/ principal author will get 50% of the maximum marks allotted, the second author will get 30% of the maximum marks allotted and rest of the others will share equally the 20% of the maximum marks allotted.

Note:

(i) **वर्ग श्रेणी:**

यदि कोई वर्ग/श्रेणी प्रदान नहीं की गई है, तो कुल प्राप्त अंको के न्यूनतम 60 प्रतिशत अंको को ही प्रथम वर्ग/श्रेणी के समकक्ष माना जायेगा। जब सी0जी0पी0ए0 प्रदान किया गया है तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान का परिवर्तन सूत्र. यदि उपलब्ध है, तो मान्य होगा अन्यथा AICTE का उपलब्ध परिवर्तन सूत्र अपनाई जाएगी जो निम्नवत् है:—

ग्रेड प्वाइंट	समकक्ष प्रतिशत
6.25	55%
6.75	60%
7.25	65%
7.75	70%
8.25	75%

(ii) **पी0एच0डी0 के लिए समकक्षता** (केवल इंजीनियरीग/प्रौद्योगिकी विषयों हेतु) :
पी0एच0डी0 के लिए समकक्षता 5 SCI Journals के प्रकाशन पर आधारित है, जिसमें से प्रत्येक जर्नल का संचयी प्रभाव सूचकांक 2.0 से अन्यून हो, जिसमें पदधारक मुख्य लेखक है तथा सभी 5 प्रकाशन लेखक के विशेषज्ञता के क्षेत्र है।
विकल्प:व्यक्ति ने कम से कम दो पेटेंट प्राप्त किए होने चाहिए अथवा वह राष्ट्रीय अकादमियों में से किसी के फ़ैलो के रूप में निर्वाचित हो।

(iii) **बी0ई0/बी0टेक0 के पश्चात् सीधे पी0एच0डी0करने हेतु पात्रता:**
पदों के विभिन्न स्तरों के लिए बी0ई0/बी0.टेक0 के पश्चात् सीधे प्राप्त की गई पी0एच0डी0 की अर्हता तकनीकी संस्थाओं में लागू होगी बशर्ते कि प्रासंगिक शाखा में प्राप्त की गई पी0एच0डी0 की डिग्री विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट, पंजीकरण, पाठ्यक्रम कार्य तथा बाह्य मूल्यांकन प्रक्रिया आदि का अनुपालन करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विधिवत अनुमोदित राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (जैसे कि आई0आई0टी0/आई0आई0एस0सी0/एन0आई0टी0 इत्यादि) द्वारा प्रदान की गई हो। आगे यह भी की, उम्मीदवार ने इंजीनियरीग/प्रौद्योगिकी में स्नातक स्तर पर कम से कम प्रथम श्रेणी प्राप्त की हो।

(iv) **प्रासंगिक डिग्री की नामावली:**
AICTE Regulation (Diploma)–2019 की कंडिका 6.4 में निर्धारित प्रावधान लागू होंगे। यदि AICTE की परिधि में कोई विशेषज्ञता उपलब्ध नहीं है तो राज्य सरकार समकक्षता पर निर्णय पाठ्यक्रम के आधार पर लेगी।

(v) **पी0एच0डी0 डिग्री की अनुमान्यता:**
नियुक्ति हेतु पी0एच0डी0 की डिग्री अनुमान्य होगी बशर्ते कि प्रासंगिक शाखा में प्राप्त की गई पी0एच0डी0 की डिग्री, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट पंजीकरण, पाठ्यक्रम कार्य तथा बाह्य मूल्यांकन प्रक्रिया आदि का अनुपालन करते हुए निम्न शर्तों को पूरा करते हुए प्राप्त की गयी हो–
(क) अभ्यर्थी को पी0एच0डी0 की उपाधि केवल नियमित शिक्षा पद्धति के माध्यम से प्रदान की गयी हो;
(ख) पी0एच0डी0 शोध प्रबंध कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा प्रदान किया गया हो;
(ग) पी0एच0डी0 के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;
(घ) अभ्यर्थी ने अपने पी0एच0डी0 कार्य को दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमें से कम से कम एक संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;
(ड) अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/आई0सी0एस0एस0आर0/सी0एस0आई0आर0 अथवा ऐसी किसी एजेंसी द्वारा प्रायोजित/वित्त पोषित/सहायता प्राप्त सम्मेलनों/विचार गोष्ठियों में अपने पी0एच0डी0 कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किया हो;
इन शर्तों को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा अधिप्रमाणित किया जाए;

उक्त निदेश समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत पी0एच0डी0 से सबंधित दिशा निदेशों से प्रभावित होगा।

(vi) **सीधी भर्ती के लिए पूर्व सेवा की गणना** : किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय, राष्ट्रीय प्रयोगशाला अथवा अन्य वैज्ञानिक/वृत्तिक संगठन CSIR, ICAR, DRDO, UGC, ICSSR, ICHR, ICMR, DBT or PSUs आदि में सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, प्राध्यापक, व्याख्याता, विभागाध्यक्ष, कार्यशाला अधीक्षक अथवा समकक्ष आदि के रूप में पूर्व नियमित सेवा, चाहे राष्ट्रीय हों या अंतरराष्ट्रीय, की गणना सहायक प्राध्यापक/सह–प्राध्यापक/प्राध्यापक/व्याख्याता/विभागाध्यक्ष/प्राचार्य/कार्यशाला अधीक्षक अथवा अन्य नाम पद्धति के रूप में सीधी भर्ती के लिए की जाएगी, बशर्ते कि:–

(क) धारित पद की अनिवार्य योग्यताएं व्याख्याता के लिए AICTE/UGC द्वारा विनिर्दिष्ट योग्यताओं से न्यून न हों।

(ख) पदधारक सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, रीडर, प्राध्यापक, व्याख्याता, विभागाध्यक्ष, कार्यशाला अधीक्षक, प्राचार्य के पद की ही भांति समकक्ष ग्रेड अथवा पूर्व संशोधित वेतनमान (जिसका सत्यापन नियुक्ति पत्र, वेतन पर्ची, Form 16 आदि से किया जा सकता है)में है/था।

(ग) सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी अपना आवेदन केवल उचित माध्यम से किया गया हो।

(घ) संबंधित व्यक्ति व्याख्याता के पद में नियुक्ति के लिए AICTE द्वारा यथा विनिर्दिष्ट समान न्यूनतम योग्यताएं धारित करता हो।

(ङ) पद को ऐसी नियुक्तियों के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/विश्वविद्यालय/संबंधित संस्था के विनियमों में यथा निर्धारित विदित चयन प्रक्रिया के अनुरूप भरा गया हो।

(च) पूर्व नियुक्ति किसी अवधि के लिए अथवा तदर्थ अथवा एक वर्ष से कम अवधि की अवकाश रिक्ति पर अतिथि व्याख्याता के रूप में नहीं हो। एक वर्ष से अधिक की तदर्थ अथवा अस्थायी सेवा की गणना की जा सकेगी बशर्ते कि–

(i) सेवा की अवधि एक वर्ष से अधिक थी;

(ii) पदधारक की नियुक्ति सम्यक रूप से गठित चयन समिति की सिफारिश पर की गई थी;

(iii) पदधारक का स्थायी पद पर चयन तदर्थ अथवा अस्थायी सेवा के अनुक्रम में किया गया था;

(iv) सेवा में कृत्रिम व्यवधान का प्रयोग स्थायी आधार पर नियुक्त किए गए कर्मचारी के प्रति पूर्वापेक्षा रखने के लिए नहीं किया जाएगा। स्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्ति को उसके द्वारा की गई संपूर्ण सेवा का लाभ सेवा में कृत्रिम व्यवधान/व्यवधानों के होते हुए भी मूल नियुक्ति की तारीख (अस्थायी/ संविदा/ तदर्थ) से दिया जाएगा;

(v) पदधारक किसी नियमित रूप से नियुक्त व्याख्याता, विभागाध्यक्ष, प्राचार्य और प्रोफेसर, जैसा भी मामला हो, की प्रारंभिक अवस्था पर मासिक सकल वेतन से अन्यून कुल सकल परिलब्धियां आहरित कर रहा था (जिसका सत्यापन नियुक्ति पत्र, वेतन पर्ची, Form 16 आदि से किया जा सकता है), तथा

(vi) चयन के समय, निर्धारित किए गए निबंधन और शर्तें अनुभव की अवधि, अनुभव की प्रकृति का स्पष्टतः उल्लेख करती हों, तथा नियोजक द्वारा उनकी सहमति दी गई हो।

(छ) संस्था के प्रबंधन की प्रकृति के संदर्भ में वहां कोई विभेद नहीं किया जाएगा, जहां की गई पूर्व सेवा (निजी/स्थानीय निकाय/सरकारी) पर इस खंड के अंतर्गत पूर्व सेवाओं की गणना के लिए विचार किया गया था।

(vii) विभागान्तर्गत संचालित पोलिटेक्निक संस्थान में संविदा आधारित व्याख्याता/आवश्यकता आधारित शिक्षक, को उनके सम्बंधित शाखा/विषय हेतु नियुक्ति से संबंधित प्रकाशित विज्ञापन में आवेदन करने के लिए Extra Weightage का लाभ उक्त तालिका अनुसार राजकीय पोलिटेक्निक/राजकीय महिला पोलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्याता के पद पर नियुक्ति हेतु ही दी जाएगी। यह प्रावधान मात्र वैसे शिक्षकों के लिए है, जो विभागान्तर्गत संचालित पोलिटेक्निक संस्थान में संविदा पर या आवश्यकता आधारित शिक्षक के रूप में कार्य कर चुके हैं अथवा कार्यरत हैं। यह प्रावधान एकल अवसर के रूप में इस अधिसूचना के प्रकाशन के उपरान्त शाखा/विषय हेतु नियुक्ति से संबंधित प्रकाशित प्रथम विज्ञापन के लिए हैं। भविष्य में उसी शाखा/विषय हेतु नियुक्ति से सम्बंधित प्रकाशित विज्ञापन में संविदा आधारित शिक्षक अथवा अंशकालीन व्याख्याता की नियुक्ति हेतु Extra Weightage का प्रावधान लागू नहीं होगा।

(viii) **Scheme of Selection:**

The process of selection of Lecturer in Polytechnics shall involve the inviting of the application developed by the Jharkhand Public Service Commission (JPSC), based on the Assessment Criteria and Methodology guidelines set out in Table of clause 8 of advertisement

and reprints of all significant publications of the candidates provided that the publications submitted by the candidate have been published during the qualifying period.

1. The Commission shall prepare a merit list in order of preference furnished by the candidate and on the basis of vacancies and reservation roster and shall send recommendation to the appointing authority
2. Final merit list shall be prepared from the aggregate marks obtained in both academic and interview stages. In the event of total marks obtained from educational qualifications, interview and experience being the same, candidates having higher marks in Post Graduation will be placed higher in the final merit list. In the event of candidate having same educational qualifications marks, candidate who is older in age according to the date of birth will be placed higher in the final merit list.

9. राजकीय पोलिटेक्निक/राजकीय महिला पोलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्याता के पद पर चयन हेतु अभ्यर्थियों के Evaluation of work knowledge and Teaching skill/Research performance and Quality of Publication तथा Academic record सभी के कुल प्राप्तांक को जोड़कर न्यूनतम अर्हतांक निम्न प्रकार से होगा–

अनारक्षित वर्ग/EWS	40%
पिछड़ा वर्ग (Annexure-II)	36.5%
अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Annexure-I)	34%
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32%

उपर्युक्त न्यूनतम अर्हतांक की अनिवार्यता साक्षात्कार के लिए भी लागू होगी।

10. आरक्षण :–आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को ही देय होगा।

(a) **आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र**

(क) आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–4650, दिनांक–02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक–02.06.2016 तथा इसके पश्चात् निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–5752, दिनांक–19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक–19.07.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।

विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर Important Jharkhand Govt. Circular & Notices में उपलब्ध है।

(ख) दिनांक–19.07.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(ग) दिनांक–02.06.2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(घ) उपर्युक्त कंडिका 'क' में उल्लेखित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(b) <u>जाति प्रमाण पत्र हेतु विस्तृत निदेश निम्नवत् है:–</u>

(i) **अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति**:–झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–1754, दिनांक–25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र–IV अथवा

पत्रांक–1361, दिनांक–03.03.2022 द्वारा निर्धारित प्रपत्र–IV(संशोधित) अथवा पत्रांक–2669, दिनांक–10.05.2023 द्वारा निर्धारित प्रपत्र–V (संशोधित) में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार यथा जिला दण्डाधिकारी/अपर जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी/अनुमंडल दण्डाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/ कार्यपालक दण्डाधिकारी/ सहायक समाहर्त्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी/अंचल अधिकारी में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर देय होगा।

इसके अतिरिक्त कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–5682, दिनांक–22.10.2008 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र–I में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार यथा उपायुक्त/अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र भी मान्य होगें।

विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर Important Jharkhand Govt. Circular & Notices में उपलब्ध है।

(ii) **अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II)**:–झारखण्ड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) कोटि के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–1754 दिनांक–25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र–XI (क्रीमीलेयर रहित) में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार यथा जिला दण्डाधिकारी/अपर जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त / अपर समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी/अनुमंडल दण्डाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/ कार्यपालक दण्डाधिकारी/सहायक समाहर्त्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी/अंचल अधिकारी में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। किन्तु जाति प्रमाण पत्र (क्रीमीलेयर रहित) की वैधता समाप्त होने की स्थिति में सबंधित अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–1754, दिनांक–25.02.2019 के अधीन प्रपत्र–XV में गैर क्रीमीलेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

इसके अतिरिक्त कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–10007, दिनांक–29.08.2012 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र–II में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार यथा उपायुक्त/अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे। किन्तु जाति प्रमाण पत्र (क्रीमीलेयर रहित) की वैधता समाप्त होने की स्थिति में सबंधित अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–1754, दिनांक–25.02.2019 के अधीन प्रपत्र–XV में गैर क्रीमीलेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर Important Jharkhand Govt. Circular & Notices में उपलब्ध है।

नोटः– झारखण्ड सरकार के सेवाओं/पदों के लिए अनुमान्य झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के साथ यदि प्रमाण पत्र में Form-XI/प्रपत्र–11 Required अंकित हो तो Form-XI/प्रपत्र–11 (Non-Creamy Layer) से संबंधित प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाय अन्यथा दावे के अनुरूप आरक्षण कोटि की अनुमान्यता नहीं दी जाएगी।

(iii) **आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग**–आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अध्यधीन आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी "आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र" प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकेगा। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण स्वरूप, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा झारखण्ड सरकार की सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए देय आरक्षण हेतु निर्गत संकल्प संख्या–1433, दिनांक–15.02.2019 के

आलोक में विहित प्रपत्र (परिशिष्ट–I) में उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी/अचंलाधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र मान्य होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट पर Important Jharkhand Govt. Circular & Notices में उपलब्ध है।

नोटः–

(a) केन्द्र सरकार के सेवाओं/पदों के लिए अनुमान्य जाति प्रमाण–पत्र (Central Government Format) मान्य नहीं होगा।

(b) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के ज्ञापांक–235, दिनांक–10.10.2019 के आलोक में अन्य राज्य से झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आव्रजित महिलाओं को आव्रजित राज्य में आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है।

(c) जाति प्रमाण–पत्र आवेदक के पिता की जाति के आधार पर निर्गत होना चाहिए।

(d) विवाहित/अविवाहित महिला आवेदिका को आरक्षण का लाभ पिता के नाम से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा।

(e) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवदेन में आरक्षण कोटि से संबंधित किये गये दावे में नियुक्ति की जारी प्रक्रिया के बीच सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

(f) आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति अभिलेख सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11. निःशक्तता का लाभ :–

(i) निःशक्तता का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को ही देय होगा।

(ii) आवेदन पत्र में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित निःशक्तता का दावा नहीं करने पर निःशक्तता का लाभ देय नहीं होगा। एक बार नियत प्रविष्टि के पश्चात् निःशक्त श्रेणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन का दावा नहीं किया जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् आयोग कार्यालय में प्रेषित आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(iii) निःशक्तता का लाभ कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्त अभ्यर्थी को ही देय होगा। निःशक्तता का दावा हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–2249, दिनांक 03.04.2018 के आलोक में सक्षम मेडिकल बोर्ड एवं मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित/प्रतिहस्ताक्षरित निःशक्तता प्रमाण पत्र के आधार पर ही आरक्षण की सुविधा अनुमान्य होगी। निःशक्तता प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निःशक्तता के लिए किया गया दावा अनुमान्य नहीं होगा। संबधित संकल्प एवं विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर Important Jharkhand Govt. Circular & Notices में उपलब्ध है।

12. खेलकूद कोटा के अंतर्गत आरक्षणः–

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–332 दिनांक–24.01.2022 के आलोक में खेलकूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण का लाभ झारखण्ड राज्य के निवासियों के लिए ही अनुमान्य है। खेलकूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण के दावे की स्थिति में कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–1709 दिनांक–12.09.2007 द्वारा श्रेणी–II के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा :–

प्रतियोगिता का स्तर	उपलिब्ध
(i) अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमिटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता।	मेडल
(ii) भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशिप स्तर की प्रतियोगिता।	प्रथम स्थान
(iii) राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता।	विश्व रिकार्ड।

13. परीक्षा शुल्कः–

(i) परीक्षा शुल्क Credit Card/Debit Card/Net Banking/Wallet/Bharat QR/UPI के माध्यम से Payment Gateway पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

(ii) अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग (EWS), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क रू0–**600 (छः सौ)** मात्र है।

(iii) **परीक्षा शुल्क में छूट**–झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू0–**150/–(एक सौ पचास)** मात्र है। परीक्षा शुल्क में छूट हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जायेगा। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क जमा किये जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी।

(iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है। इसके लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–2249, दिनांक–03.04.2018 के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(v) कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता वाले निःशक्त अभ्यर्थियों को छोड़ अन्य अभ्यर्थियों द्वारा बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द कर दिए जायेंगे।

(vi) **परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।**

14. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश :

(a) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति तथा कंडिका–15(i) के अनुसार सभी वांछित प्रमाण–पत्रों के स्पष्ट एवं पठनीय स्वअभिप्रमाणित प्रति निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट एवं हाथों–हाथ आयोग कार्यालय के पते "परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची–834001" पर निर्धारित तिथि–25.03.2026 अपराह्न 5:00 बजे तक समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। Hard Copy लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, परीक्षा का नाम, आवेदक का नाम, Registration No., विषय एवं पदनाम मोटे (Bold) अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य है। अन्य किसी माध्यम से भेजे गये आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जायेंगे तथा इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।

(b) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर OTR (One Time Registration) System के माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जायेंगे।

(c) अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरा जायेगा। इसमें किसी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे। गलत या अर्धसत्य सूचना पाये जाने पर अभ्यर्थिता पर अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

(d) ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित e-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Id एवं Password को सुरक्षित रखना अभ्यर्थी की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत Mobile

Number एवं E-mail Id अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का Mobile Number एवं E-mail Id अंकित नहीं करेंगे।

(e) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी आखिरी समय का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

(f) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।

(g) अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन पत्र को Submit करने के बाद उसी समय पुनः Login कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध "Download Filled Application Section" से भरा हुआ आवेदन पत्र डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिन्ट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित सभी प्रमाण–पत्र/कागजात, परीक्षा शुल्क भुगतान की बैंक रसीद की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे।

(h) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वे सभी वांछित अर्हत्ताएँ पूर्ण करते हों तथा सभी वांछित प्रमाण–पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन पत्र भरते समय उपलब्ध हो।

(i) Online आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना एवं Offline mode में प्राप्त आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति एवं संलग्न अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी Online Application भली–भाँति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरें। एक बार Online Application में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन/त्रुटि निराकरण का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। OTR के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन फार्म भरने के क्रम में अभ्यर्थी वांछित अभिलेखों एवं प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति को अपलोड करना सुनिश्चित करेगें।

(j) ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र भरने के पूर्व **"How to register for OTR"**(आवेदन कैसे करें) आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No.- +919431301419 अथवा +919431301636 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह–11.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

(k) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग के Email Id-helpdesk@jpsc otr.com एवं Technical Help Line No.- +918929883832 पर कार्य दिवस में सुबह 11:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

(l) परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए Payment Helpline No.- +918929883832 पर संपर्क किया जा सकता है।

(m) One Time Registration System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

(n) Online आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।

(o) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्तनी (Spelling) वही लिखेंगे जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट/अंक–पत्र में अंकित है।

(p) आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में जो उनकी जन्मतिथि (यथा तिथि, महीना और वर्ष) अंकित है, वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर भरें।

(q) अभिलेख सत्यापन के समय विज्ञापन की कंडिका–15(i) के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

(r) आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हत्ता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।

(s) आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की विवरणी Online Application में प्रविष्ट करेंगे अथवा तत्समय अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) निर्गत नहीं होने की स्थिति में आवेदक Applied for NOC संबंधी सूचना ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्टि करेंगे।

(t) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

(u) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(v) सरकारी/विश्वविद्यालय सेवा के सेवक को सक्षम प्राधिकार से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र समर्पित करना आवश्यक होगा।

15. लिफाफा एवं प्रमाण पत्र :–

(i) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वच्छ एवं स्पष्ट (Visible) स्वअभिप्रमाणित प्रतियां (Self attested copy) **दो सेट** में अनुलग्नक के रूप में क्रमवार अवश्य संलग्न कर आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे :–

(a) Printed copy of Examination Fee Receipt.
(b) 10^{th}/Matriculation Certificate and Mark Sheet.
(c) 12^{th}/Intermediate Certificate and Mark Sheet.
(d) Graduation Certificate and Mark Sheet.
(e) Post Graduation Certificate and Mark Sheet.
(f) NET/JET Passing Certificate.
(g) JRF Award Letter/Certificate.
(h) M.Phil Degree Certificate and /or Notification, its registration certificate & marksheet.
(i) Ph.D Degree Certificate and / or Notification, its registration certificate & marksheet alongwith certificate as per clause 8 Note (v) of advt. for validity of Ph.D degree.
(j) GATE Score Card
(k) Local Residential Certificate and Caste Certificate in prescribed format as mentioned in the clause 10 of the advertisement (If applicable).
(l) Certificate of Physical Disability issued by competent authority as per clause-11(iii) of the advertisement (if applicable).
(m) Post Doctoral experience certificate issued by competent authority.
(n) Teaching experience certificate issued by competent authority along with appointment letter.
(o) Publications related documents as per Appendix-A of the advertisement.
(p) OGPA/CGPA/Grade Points to percentage conversion document for Graduation, Post Graduation and M.Phil (If applicable).
(q) NOC (No Objection Certificate) issued by competent authority i.e. present Employer (If applicable).
(r) Aadhaar card or other Personal Identification document.
(s) Any other documents as per the advertisement and information given in the application form.

(ii) जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेज रहें हैं, उस लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या, परीक्षा का नाम, आवेदक का नाम, Registration No., विषय एवं पदनाम जिसके लिए आपने आवेदन किया है, अनिवार्य रूप से अंकित करें।

16. अन्य शर्तें :–

(i) ऑनलाईन आवेदन पत्र को पूर्णरूपेण समर्पित करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ आवश्यक अनुलग्नक सहित दिनांक–25.03.2026 तक समर्पित करने पर ही विज्ञापित पदों हेतु आवेदन स्वीकार्य किये जायेंगे।

(ii) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

(iii) साक्षात्कार आयोजन से पूर्व विज्ञापन में संशोधन करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

(iv) आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(v) अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द कर दिया जायेगा।

(vi) अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(vii) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा कोई भी प्रमाणपत्र/अभिलेख (विज्ञापन की कंडिका–15(q) में उल्लेखित प्रमाण पत्र को छोड़) उपलब्ध कराए जाने पर स्वीकार्य नहीं होगा।

(viii) अपूर्ण तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

17. (i) कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणामः–

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of:

(a) Misbehaving in any other manner in the interview premises, or

(b) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their interview, or

(c) Bringing mobile phone/communication device in the interview room.

(d) Attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:

(i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or

(ii) to be debarred either permanently or for a specified period

(ii) कदाचार के लिए कार्यवाही :–

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गऐ अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी, जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(iii) पूर्व के कदाचार का प्रभावः–

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

18. <u>अंतिम तिथि :–</u>

(i) आवेदक One Time Registration System के माध्यम से **दिनांकः–20.02.2026 से 12.03.2026 अपराह्न 05:00 बजे** तक ही Online आवेदन कर सकते हैं।

(ii) **दिनांकः–12.03.2026** के बाद **दिनांकः–14.03.2026 अपराह्न 5.00 बजे** तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।

(iii) आवेदक कंडिका–15(i) के अनुसार Online आवेदन की स्वअभिप्रमाणित मुद्रित प्रति एवं उक्त कंडिका में उल्लेखित सभी प्रमाण–पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियाँ A4 Size papers हेतु उपयुक्त लिफाफा में **निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट** द्वारा या **हाथों–हाथ** (कार्यावधि में) इस प्रकार भेंजे कि **दिनांक–25.03.2026** अपराह्न **5:00** बजे तक Controller of Examination, Jharkhand Public Service Commission, Circular Road, Ranchi-834001को अवश्य प्राप्त हो जाए।

(iv) आवेदन प्राप्ति की निर्धारित अन्तिम तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा, इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।

(v) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

अनुलग्नक–(i) APPENDIX-A

ह0/–
सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।

Appendix –A

1. Academic Records/Achievements:

Sl. No.	Standard/ Degree	Full Marks/ CGPA/OGPA etc.	Obtained Marks/ CGPA/ OGPA etc.	% of Marks	Marks claimed by candidate as per clause–8 of advt.	Mention the page no. where relevant documents are enclosed
1.	Graduation					
2.	Post Graduation					
3.	M.Phil (For Science & Humanities)					

Note :Percentage of Marks to be filled above should be done as per Instructions given below : -

i. If CGPA/OGPA/Grade Points etc. is given in the Grade sheets/Mark Sheets then percentage should be calculated as per documents available/issued by concerned Board/ Institution/University for CGPA/OGPA/Grade Points etc. to percentage conversion. If CGPA/OGPA to percentage conversion formula is not provided by the candidate then marks will be allotted as per the conversion formula mentioned in clause 8. Note (i)

ii. If percentage is given in the Mark sheets then same should be filled.

iii. If percentage is not given in the Mark Sheets but is understood to be calculated from marks/terms and conditions given in the Mark Sheets, then accordingly percentages should be calculated and filled.

iv. For Science/Humanities subjects, percentage should be filled for Honours subjects for Honours degree.

2.(a) Ph.D Degree/ NET/JET: -

Sl.No.	Ph.D/NET/JET details	Yes/No	Marks claimed by candidate as per clause–8 of advt.	Mention the page no. where relevant documents are enclosed
1.	Ph.D.			
2.	NET with JRF			
3.	NET/JET without JRF			

(b) Ph.D Equivalency(For Engineering/ Technology subjects only): -

Are you claiming for Ph.D equivalency : Yes ☐ No ☐

If yes then √ the appropriate condition for Ph.D equivalency

(i) Publication of 05 SCI Journals whose Cumulative Impact Factor (संचयी प्रभाव सूचकांक) is more than 2.0 ☐

Sl.No.	Name of SCI Journal	Cumulative Impact Factor	Whether Main Author or not?	Mention the page no. where relevant Journal is enclosed
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Note : Attach separate sheet(s) in the above format after this page if SCI Journals are tobe added to the above list.

(ii) Candidate has atleast 02 patents ☐

Sl.No.	Name of Patent	International/National	Mention the page no. where relevant document is enclosed
1.			
2.			
3.			

(iii) Candidate has been elected as a Fellow in a National Academy ☐

Sl.No.	Details	Mention the page no. where relevant document is enclosed
1.		

(c) GATE: -

Sl.No.	Exam	Qualified (Yes/No)	Percentile as per formula mentioned in clause-8 (Note D) of advt.	Marks claimed by candidate as per clause–8 of advt.	Mention the page no. where relevant document is enclosed
1.	GATE				

<u>Details of Publications-</u>

3.Papers published in Peer reviewed or UGC listed journals :

Sl. No.	Title of published paper	Name of Journal	ISSN No.	Peer reviewed /UGC listed	Whether Single Author/ Joint pub. with 02 authors/ Joint pub. with more than 02 authors	Marks claimed by candidate as per clause-8 (schedule 1)	Mention the page no. where relevant publications are enclosed alongwith proof of Peer reviewed or UGC listed
1.							
2.							
3.							
4.							

5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

Note :i. Attach separate sheet(s) in the above format after this page if additional published papers are to be added to the above list.

ii. Self attested pages of relevant pages of the published papers wherein above mentioned details could be easily verified must be attached.

4. Best Paper/Poster Award:

Sl. No.	Title of Paper/ Poster Award	Name of Symposium/ Conference	National/International	Marks claimed by candidate as per clause-8 (schedule 1)	Mention the page no. where relevant documents are enclosed
1.					
2.					
3.					
4.					

Note : Attach separate sheet(s) in the above format after this page if additional best paper/poster awards are to be added to the above list.

5. (i) Books :

Sl. No.	Name of Book	Whether Single Author/ Joint pub. with 02 authors/ Joint pub. with more than 02 authors	ISBN No.	Marks claimed by candidate as per clause-8 (schedule 1)	Mention the page no. where relevant documents are enclosed. Also attach cover page of book, index page alongwith proof of ISBN no.
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

5. (ii) Chapters in books :

Sl. No.	Name of Chapter	Name of Book	Whether Single Author/ Joint pub. with 02 authors/ Joint pub. with more than 02 authors	ISBN No.	Marks claimed by candidate as per clause-8 (schedule 1)	Mention the page no. where relevant documents are enclosed. Also attach cover page of book, index page alongwith proof of ISBN no.
1.						
2.						
3.						

4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						

Note : i. Attach separate sheet(s) in the above format after this page if additional books/chapters in books are tobeaddedto the above list.

ii. Self attested copies of relevant pages of the books, chapters, content etc. must be attached so that above mentioned details could be easily verified.

6. Details of Post Doctoral experience/Teaching experience (Note : The period of time taken by candidate to acquire M.Phil. and/or Ph.D. Degree shall not be considered as teaching/research experience)

Sl No.	Name of Post	Research/ Teaching	Name of University/College/ Institution	Duration (YY-MM-DD)	Marks claimed by candidate as per clause-8 of advt.	Mention the page no. where relevant certificates are enclosed. Also attach related appointment letter/notification
1.						
2.						
3.						

4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

Note: Whether you have worked as a Need Based Teacher/Contractual Teacher under Higher & Technical Education Department, Jharkhand : Yes ☐ No. ☐
If yes, then please mention no. of years of continuous teaching- .... Year(s).
Additional marks as per clause #b of clause-8 ....

7. Award :

Sl. No.	Name of Award	International/National /State Level	Marks claimed by candidate as per clause-8 of advt.	Mention the page no. where relevant documents are enclosed
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Note: i. Attach separate sheet(s) in the above format after this page if additional awards are to be added to the above list.

ii. Self attested copies of the relevant pages of awards wherein above mentioned details could be easily verified must be attached.

8. Total of Weightage marks claimed by candidate from Sl. Nos. 1 to 7 (out of 80) [ ]

9. List of enclosures: Self attested Photocopies of the documents should be attached serially and paging must be done correctly: -

Sl. No.	Document	Enclosed – Yes or No	Enclosed as page No(s).
1.	Printed copy of online application		
2.	Printed copy of Examination Fee receipt		
3.	10th/Matriculation Certificate		
4.	10th/Matriculation Mark sheet		
5.	12th/Intermediate Certificate		
6.	12th/Intermediate Mark sheet		
7.	Graduation Degree Certificate		
8.	Graduation Mark sheet		
9.	Post Graduation Degree Certificate		
10.	Post Graduation Mark sheet		
11.	M.Phil Degree Certificate /Notification		
12.	M.Phil Marksheet		
13.	M.Phil Registration Certificate		
14.	Ph.D Registration Certificate		
15.	Ph.D result declaration certificate/notification		
16.	Ph.D. Degree Certificate/Provisional degree certificate		
17.	Certificate as per clause 8 Note (v) of advt. for validity of Ph.D degree.		
18.	NET/JET		
19.	JRF		
20.	GATE		
21.	Caste Certificate		
22.	Local Residential certificate		
23.	Certificate of Physical disability (if applicable)		
24.	Post Doctoral Experience certificates along with appointment letter		

25.	Teaching experience certificate along with appointment letter		
26.	Document(s) wherein rule for converting OGPA/CGPA/Grade Points etc. to percentage is mentioned		
27.	No Objection Certificate from present Employer(if applicable)		
28.	Aadhaar Card		
29.			
30.			
31.*			
32.*			
33.*			
34.*			

* Blanks in the above can be filled by candidate for additional relevant documents enclosed after Sl. No.28 suitably mentioning the name of the document(s) in support of information given in the application form.

Note : i. If anything is written on both sides of Mark Sheets and Degree Certificates, then photocopies of both sides of the documents should be enclosed.

ii. Paging of the enclosures should be done on either sides of the documents if anything is written. For blank pages paging should not be done.

iii. Enclosures should be attached with the application in two sets. Paging of the same documents should be same in both the sets.

Signature of candidate

Name : ....

Registration no. ....

Date:-...........................